

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- कप्तानगंजअवैध कट्टा व कारतूस के साथ एक चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु अभियान के तहत दिनांक 29.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक देवानन्द मय हमराह के संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग गौरा पुलिया पर कर रहा थे कि कोइनहा बाजार कि तरफ से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखायी दी पास आने पर टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया , तो एक व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था चलती गाड़ी से ही कूद कर भागने लगा , मोटर साइकिल चालक गाड़ी छोड़ कर भागने का प्रयास किया की पुलिस टीम द्वारा 15 -20 कदम की दूरी पर दौड़ा कर समय 05.45 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम पचखोरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया तथा पकड़े गये व्यक्ति के पास से एक अदद तमन्चा .315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। भागे हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने उसका नाम सुशील यादव पुत्र लालबिहारी यादव ग्राम हसनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति से मोटर साइकिल UP50BR0417 स्पेलेण्ड प्लस के विषय में पूछा गया तो बताया कि साहब यह गाड़ी हम दोनो लोगो ने एक व्यक्ति से 8000 रु में खरीदी थी। जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ सुशील जानता होगा क्योकि उसी के माध्यम से हम लोग खरीदे थे। यह गाड़ी चोरी की है , हम लोग पकड़े जाने के डर से इसका नंबर बदल दिये थे। इस पर दूसरे गाड़ी का नंबर प्लेट लगा दिया हूँ इसको मैं और मेरा दोस्त सुशील यादव अपने आवश्यकतानुसार लेकर चलते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय मु 0अ0सं0 107/2021 धारा 3/25 A Act व मु0अ0सं0 108/2021 धारा 411/420/467/468 IPC पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. अभिषेक यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम पचखोरा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी-

1. एक अदद कट्टा .315 बोर,
2. दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद मोटर साइकिल UP50BR0417 स्पेलेण्ड प्लस

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 107/2021 धारा 3/25 A Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
- 2- मु0अ0सं0 108/2021 धारा 411/420/467/468 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक देवानन्द थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ ।
2. का0 प्रमोद कुमार यादव थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ ।
3. का0 प्रमोद थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ ।

थाना अहरौलाअपहरण की गई अपहृता बरामद

दिनांक 27.07.2021 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला आजमगढ़ के लिखित सूचना बावत वादिनी की पुत्री को अभियुक्त

1. अमन प्रजापति पुत्र स्व0 राजेश 2. अक्षय प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम बेन्दुई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

द्वारा अपहरण करने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2021363/366 भादवि बनाम 1. अमन प्रजापति पुत्र स्व0 राजेश 2. अक्षय प्रजापति पुत्र सुरेन्द्र प्रजापति निवासी ग्राम बेन्दुई थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियोग की विवेना उ0नि0 राजीव कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में अपहृता को विवेचनाधिकारी उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह का0 नवीन मौर्य व रि0म0का0 प्रियंका वर्मा द्वारा आज दिनांक 29.07.2021 को बूढनपुर तिराहे से बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह का0 नवीन मौर्य व रि0म0का0 प्रियंका वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

थाना-रौनापार

जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मुकदमा श्री बलिराम पुत्र दुलारे राम ग्राम रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 128/21 धारा 307/504/506 भादवि बनाम (1) गुड्डू राम s/o लौटन राम (2) लौटन राम s/o सुखई राम (3) मुराती देवी w/o लौटन राम समस्त साकिनान रौनापार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 रामजीत द्वारा आज दिनांक 29.07.2021 को करखिया मोड़ के पास से समय करीब 12.30 बजे एक नफर अभियुक्त (1) लौटन राम s/o सुखई राम सा0 रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 128/21 धारा 307/504/506 भादविथाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

लौटन राम s/o सुखई राम सा0 रौनापार थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामजीत थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 चन्द्रमणि त्रिपाठी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अखिलेश पाण्डेयरौनापार जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

31 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की